लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
002/2022 (GCMS 2022/4)	10.02.2022	23.02.2022

अनवान

मनोहर कुमावत पिता गुलाब चन्द कुमावत निवासी देहली गेट के अन्दर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोर्डेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 07.01.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./002/2022(सू.अ.)(23.02.2022)/28 दिनांक 10.02.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 23.02.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 23.02.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक 23.02.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2022/684 दिनांक 15.02.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः-

1. यह कि प्रार्थी श्री मनोहर पिता गुलाब चन्द कुमावत निवासी देहली गेट के अन्दर, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 07.01.2022 को प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय में प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक /न्याय/आर.टी.आई/16-12()/2021/297 दिनांक 09.02.2022 से प्राप्त सूचना के अनुसार अवगत कराया गया है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पूर्ण तथ्यों यथा कम्पनी का नाम, आराजी नं., इत्यादि का अंकन नहीं होने से सूचना तैयार करना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराये जाने पर ही सूचना तैयार करना संभव है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक /एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/127 दिनांक 14.02.2022 से प्रार्थी को सूचित किया गया हैं। अतः वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण प्राप्त होने पर नियमानुसार सूचना तैयार कर यथाशीघ्र प्रार्थी को उपलब्ध कराई जा सकेगी।(पत्र की प्रति संलग्न है।)
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/684 दिनांक 15.02.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/127 दिनांक 14.02.2022 से उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण यथा कम्पनी का नाम, आराजी नं., इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचित किए जाने पर भी अपीलार्थी द्वारा आदिनांक तक लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया हैं। जिससे अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तैयार किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अतः अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात् अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तैयार कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **23.02.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)